From:

Subhash Chand,
Addl. Distt. & Sessions Judge,Court no.11,
Meerut.

To

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

Through:

The District.& Sessions Judge,
Meerut.

Subject : Grant of three increments to post graduate degree holder in law at the time of appointment on 21.3.2002 and onward.

Sir,

It is submitted with utmost regards that I have taken over charge on 4.1.2012 as Addl. Distt. & Sessions Judge,Court no.11, Meerut in pursuant to Hon'ble High Court's notification no. Dated: 23.12.2011 no. 1388/D R (S)/ 2011 in pursuant to Govt. Office memorandum no. 2875/II-4-2011-32(1)/2005 dated 22.12.2011.

In view of G.O. no. 1363/II-4-2009-49(12)/91 TC dated 13.5.2009 in pursuance to recommedation of First National Judicial Salary Commission (Sethi Commission) the benefit of three increments was given to the LL.M. Degree holder at the time of appointment in U.P.Judicial Service or Higher Judicial service.

In pursuance of letter no. 1705/II-4-2011-45(12)/91 TC appointment Section 4,Lucknow dated 3.1.2012 it has been clarified that those who were LL.M. Degree holder at the time of appointment on 21.3.2002 or onward date shall be entitled to get three increments along with D.A. thereon.

I have passed LL.M. in the year 1988 from Meerut University,

Received 9/5

Meerut.

It is, therefore, most submissively prayed that my this application may kindly be placed before the Hon'ble Court to grant three increments along with D.A. thereon in pursuance of the aforesaid G.O.

With regards.

Yours faithfully,

(Subhash Chand) 08/02/12
Addl.Distt.& Sessions Judge,
Court no.11,Meerut.

Dated: 7.2.2012

Annexures:

1.Attested copy of degree of LL.M.

2.Photo copy of the G.O. Dated 13.5.09

3.Photo copy of the letter 13.1.2012

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE, MEERUT.

No.: 246/I **Dated:** 9-2-12

Forward to, The Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

District Judge,
Meerut.

जिला न्यायाधीश
मेरठ।

Annexure 1

Roll No.

T/2

Request 95

मेरठ विश्वविद्यालय

MEERUT UNIVERSITY

यत्र सत्यस्य परम निधानम्

विधि निष्णात

(Master of Laws)

प्रमाणित किया जाता है कि सुभाषचन्द

ने इस विश्वविद्यालय से १९८८ की परीक्षा में **विधि निष्णात** की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की।

This is to certify that Subhash Chand

obtained the Degree of **MASTER OF LAWS** of this University in the Examination of 1988 and that he/she was placed in the Second Division.

MEERUT UNIVERSITY.

30.6.1989

कुलपति—Vice-Chancellor

Annexure 2

प्रषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Been Cumulative send it to Bill clerk for compliance

DISTRICT JUDGE
MUZAFFARNAGAR
22.05.09

Request 95

713

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 13 मई, 2009

विषयः-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी हैः-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Been Send to bills clerk 23/5/09

भवदीय,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

......2

Annexure 3

Request 95

रजिस्टर्ड

संख्या--1705 / दो--4--2011--45(12) / 91टी.सी.

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 03 जनवरी,2011

विषय प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी शासनादेश संख्या--363/दो–4–2009–45(12)/91टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ चयन के समय स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों/अधिकारियों को प्राप्त होगा। फिर भी आपके विभिन्न पत्रों में वांछित 05 बिन्दुओं के संदर्भ में बिन्दुवार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित सारिणी में दिये गये यथोचित उत्तरानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

क्रमांक	मा0 उच्च न्यायालय का प्रश्न	उत्तर
1.	क्या दिनांक 21.3.2002 को स्नातकोत्तर उपाधि धारक सेवारत एवं सेवानिवृत्त सभी न्यायिक अधिकारियों को 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	नहीं
2.	क्या दिनांक 21.3.2002 के बाद एलएल.एम. उपाधिधारक न्यायिक अधिकारियों को भी 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।	चयन के समय ही दिनांक 21.3.2002 एवं उसके बाद एलएल.एम. उपाधि धारक उक्त अधिकारियों को ही उक्त सुविधा प्राप्त होगी
3.	क्या केवल ऐसे न्यायिक/उच्चतर न्यायिक अधिकारियों को जिन्होंने चयन के समय अपने आवेदन पत्र में जो कि लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रस्तुत किया गया था में स्नातकोत्तर उपाधि का जिक्र किया था उन्हें ही 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	जी हाँ।

check.rediff.com/bn/downloadajax.cgi/Picture.jpg?login=blkesarwani&ses...

रजिस्टर्ड

प्रेषक, संख्या-1705/दो-4-2011-45(12)/91टी.सी.

योगेश्वर राम मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक
मा0 उच्च न्यायालय
इलाहाबाद

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी,2011

विषय- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को 03 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-363/दो-4-2009-45(12)/91टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ चयन के समय स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों/अधिकारियों को प्राप्त होगा। फिर भी आपके विभिन्न पत्रों में वांछित 05 बिन्दुओं के संदर्भ में बिन्दुवार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित सारिणी में दिये गये यथोचित उत्तरानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

क्रमांक	मा0 उच्च न्यायालय का प्रश्न	उत्तर
1.	क्या दिनांक 21.3.2002 को स्नातकोत्तर उपाधि धारक सेवारत एवं सेवानिवृत्त सभी न्यायिक अधिकारियों को 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	नहीं
2.	क्या दिनांक 21.3.2002 के बाद एलएल.एम. उपाधिधारक न्यायिक अधिकारियों को भी 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।	चयन के समय ही दिनांक 21.3.2002 एवं उसके बाद एलएल.एम उपाधि धारक उक्त अधिकारियों को ही उक्त सुविधा प्राप्त होगी
3.	क्या केवल ऐसे न्यायिक/उच्चतर न्यायिक अधिकारियों को जिन्होंने चयन के समय अपने आवेदन पत्र में जो कि लोक सेवा आयोग एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रस्तुत किया गया था में स्नातकोत्तर उपाधि का जिक्र किया था, को ही 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी?	जी हाँ।

Request 95

4.	क्या 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि ऐसे न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सीधी भर्ती के अधिकारियों को ही देय होगी जो दिनांक 21.3.2002 एवं उसके बाद चयन के समय एलएल.एम. डिग्री रखते थे?	जी हाँ
5.	क्या उक्त शासनादेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी.सी. दिनांक 13.5.2009 में प्रदत्त 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि की सुविधा के साथ महंगाई भत्ता भी देय होगा।	जी हाँ, चूंकि महंगाई भत्ता वेतन का भाग होता है अतः ऐसे अग्रिम वेतन वृद्धि पर महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
संयुक्त सचिव।

eck.rediff.com/bn/downloadajax.cgi/Picture_001.jpg?login=blkesarwani...

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:31:48 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad